



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/61/2019/2402

दिनांक: 17.07.2019

सेवा में,

श्री कुंदन कुमार सिंघी,
2/197 हाउसिंग बोर्ड,
साकेत नगर, व्यावर(अजमेर)

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में |

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2019 जो कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व् उत्पाद शुल्क, जयपुर को 08.07.2019 को प्राप्त हुआ का सन्दर्भ देखें |

In this context, the point-wise information/reply is as under:-

Point No. 7.1:- The desired Circular No. 1009/16/2015-CX dated 23.10.2015 regarding the revised guidelines for launching of Prosecution under the Central Excise Act, 1944 and Finance Act, 1994 is available on <http://www.cbic.gov.in>.

Point No. 7.1:- Circulars/instructions regarding guidelines for launching of prosecution followed earlier the above said circular are mentioned in the Para 1 of the circular dated 23.10.2015, which are also available on department's website <http://www.cbic.gov.in>.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

— २० —

सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. वेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु |

सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय
Central Public Information Commission
Central Goods & Services Tax Commission
जयपुर।